

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

निगरानी पंचायत सं0 05/2021

1. अमरसिंह पुत्र रामसिंह
2. अजीतसिंह पुत्र रामसिंह
3. श्रीमती हीरा पत्नि स्व. रामसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली, ढाणी राजाहेडा तहसील दौसा जिला दौसा
...निगरानीकर्तागण

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली, ढाणी राजाहेडा तहसील दौसा जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा जिला दौसा
3. श्री रामकरण शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा जिला दौसा।

...गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी याचिका विरुद्ध प्रस्ताव पट्टा देहानी ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा
दिनांक 22-1-2021 बसंकल्प संख्या 6 अ. धारा 97 राजस्थान पंचायती अधिनियम

- उपस्थिति:- 1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्तागण सं0 1

निर्णय

दिनांक 10.11.2025

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा-97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि, ग्राम पंचायत, सूरजपुरा द्वारा अप्रार्थी सं0 एक के पक्ष में पट्टा दिनांक 22.1.2021 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानीकारान ने यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिनस्थ ग्राम पंचायत सूरजपुरा का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता निगरानीकारान ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने अन्तिम फैसला प्रस्ताव तिथी विक्रयशुदा भूमि की किस्म का उल्लेख नहीं है, के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 145 राजस्थान पंचायत अधिनियम दिनांक 20-11-2020 ई० को बाद आवेदन अप्रार्थी सं0 1 तीन पंचो की नियुक्ति कर पट्टा प्रचलित भूमि का मौका निरीक्षण करवाने व तदानुसार दिनांक 5-12-2020 ई. को पंचायत के मौका निरीक्षण प्रतिवेदन को संदर्भित कर प्रश्नगत संकल्प पारित किया जाना, प्रार्थीगण को बाद प्राप्ति प्रतिवेदन जमाबन्दी में आया है। प्रश्नगत संकल्प द्वारा प्रदान पट्टे की भूमि ग्राम खेडली में आबादी भूमि है या कृषि भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में अंकित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व ग्राम पंचायत के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के आपसी षडयंत्र व भ्रष्टाचार पर आधारित प्रश्नगत प्रस्ताव द्वारा अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गुप्त रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रार्थीगण एवं अन्य साहस्रघातेदारान की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 21 एयर वाके ग्राम खेडली में से 20.41 वर्गगज का प्रश्नगत पट्टा प्रचलित करने का प्रस्ताव अवैध अस्पष्ट अधिकृत तथा प्रार्थीगण के अधिकारों के विपरीत प्रार्थीगण को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये, अधिनस्थ ग्राम

जिला कलेक्टर, दौसा

पंचायत ने पारित कर न्यायालय के नैसर्गिक सिद्धान्त की अवहेलना की है। अतः प्रश्नगत आदेश क्षेत्राधिकारविहीन अविधिक आदेश होने के कारण तत्काल प्रभाव से खण्डनीय है। वस्तु स्थिति को अप्रार्थी संख्या 1 ने छिपाकर एवं अपने अन्य सहयोगीगण अप्रार्थी संख्या 1 के अतिरिक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 1/2, दीपकसिंह, नरेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली ढाणी राजाहेडा तहसील दौसा द्वारा प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व० रामसिंह पुत्र माधोसिंह गुर्जर निवासी राजाहेडा तन खेडली की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 44 वाके ग्राम खेडली तहसील दौसा के 12.19 वर्गगज भूमि का कूटरचित इकरारनामा तैयार करने के लिए दिनांक 19-05-2017 को 100 रुपये का स्टाम्प लिखित बताकर उनके द्वारा पूर्व में कंतागण के पक्ष में मौखिक करार से भूमि विक्रय करने लिखापट्टी नहीं करने के बाद इकरारनामा कूटरचित तैयार करने के लिए मुद्रांक खरीदकर दिनांक 19-05-2017 को इकरारनामा स्व० रामसिंह के नाम से टाईप कराकर उनके हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति से करवाये गये। साक्षी के रूप में श्री रामकेश गुर्जर पुत्र श्री बृजमोहन निवासी राजाहेडा तन खेडली तहसील दौसा का नाम अंकित कर उसके फर्जी हस्ताक्षर किये गये। पहचानकर्ता के रूप में श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री कैलाश गुर्जर ग्राम भांकरोटा तहसील दौसा के हस्ताक्षर करवाये जो अप्रार्थीगण का मिलने वाला शराबी मित्र है। मूल स्टाम्प व संलग्न तीन पाईपेपर पर अंग्रेजी में आर.एस. अवाना हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति से करवाकर कूटरचित अभिलेख तैयार किया गया। इस अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपी अधिनस्थ ग्राम पंचायत में भी प्रस्तुत किया गया है, से प्रार्थी संख्या 1 ने चित्र प्रति इकरारनामा प्राप्त की है। इस अभिलेख का पत्रावली में विवेचन नहीं किया गया तथा अब इसे पत्रावली से हटा दिया। स्व० रामसिंह सशस्त्र भारतीय सेना में अधिकारी है, उनके हस्ताक्षर पूर्व में प्रमाणित अभिलेखों पर है। स्व० रामसिंह की मृत्यु दिनांक 11-09-2018 को हुई है। अप्रार्थीगण इकरारगृहितागण ने इस तथ्य को उनकी मृत्यु के समय तक आज दिन तक जाहिर नहीं किया। प्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत की पत्रावली से प्राप्त अभिलेख की चित्र प्रति से तथ्य की जानकारी हुई है। इस प्रकार पट्टागृहितागण ने सुनिश्चित षडयंत्र द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को बेईमानी कर हड़पने का प्रयास किया है। मानसिंह व सुरेन्द्र कुमार दोनों भाई हैं तथा दीपक कुमार व नरेश कुमार दोनों खास भाई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह प्रचलित करने कि उसने प्रार्थीगण की भूमि में से पट्टा प्राप्त कर लिया है अब वह भूमि का स्वामी है। प्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत सूरजपुरा में जानकारी कर पट्टा संबंधी अभिलेख की प्रतिलिपीया प्राप्त करने का आवेदन किया जिस पर दिनांक 4-6-2021 को प्रतिलिपीया प्राप्त हुई, जिन्हे पढकर आश्चर्य हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई पट्टा देहानी की कार्यवाही के नाम पर कैसे भ्रष्टाचार का खेल किया गया है। योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव प्रश्नगत पट्टा देहानी एक पक्षीय प्रस्ताव दिनांक 22-1-2021 विधी, प्रक्रिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत क्षेत्राधिकार का असाधारण अतिक्रमण कर अप्रार्थी संख्या 1 से सांठगांठ कर अनाधिकृत रूप से पारित किया है जो तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है। पट्टे पर दी गई भूमि दौसा के समीपस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग दौसा आगरा के पास स्थित है। यह भूमि बहुमूल्य भूमि है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित पट्टा देहानी संकल्प में या ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किसी अभिलेख में यह तथ्य विवेचित नहीं है कि भूमि जिसका पट्टा देहानी का संकल्प पारित किया गया है ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित आबादी भूमि है और यदि है तो ग्राम खेडली की मुख्य आबादी में है या किसी ढाणी में स्थित है। ग्राम पंचायत मात्र ग्राम में स्थित आबादी भूमि का ही विक्रय करने व पट्टा प्रचलित करने को अधिकृत है। खातेदारान की खातेदारी में अंकित गैर मुमकिन आबादी भूमि का पट्टा प्रचलित करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को तब तक प्राप्त नहीं है जब तक भूमि सक्षम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा आबादी में रूपान्तरित कर ग्राम पंचायत को सुपुर्द नहीं कर दी जावे।

जिला कलेक्टर, दौसा



अतः ग्राम पंचायत द्वारा आराजी खसरा नम्बर 44 मे से अप्रार्थी संख्या 1 को पुश्तेनी भूमि बताकर ग्रा.पं.नि. 157(1) के प्रावधानानुसार प्रचलित किया है जो सही नहीं है। कृषि भूमि के पुश्तेनी होने का तथ्य तय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 को इस संबंध में स्पष्टतः जानकारी होना उनके पदीय दायित्व के अनुसार स्वभाविक है। ग्राम पंचायत ने तथ्य को छिपाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 को अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तेनी बताकर प्रश्नगत पट्टा प्रचलित कर अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है अतः प्रश्नगत संकल्प तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि विक्रय पट्टा देहानी संबंधी अभिलेख बाजार में मुद्रित बिकते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा खाली प्रकोष्ठों की पूर्ति कर पट्टा प्रचलित किया जाता है। शीर्षक प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रतिलिपी पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं करवाई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजरी मानचित्र में भूमि की माप व सीमा स्थिति अंकित नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रचलित पट्टा दिनांक 22-1-2021 व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजरी मानचित्र में भूमि की भिन्ता दृष्टिगोचर है। ग्राम पंचायत के पंचगण द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत अदिनांकित मौका निरीक्षण रिपोर्ट के चरण संख्या 2 में भूमि को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि ढाणी राजाहेडा में अंकित होना लिखा है जबकि उक्त ढाणी में ग्राम पंचायत की भूमि ही नहीं। महिला सदस्यो ने किस तिथि को किनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया कोई विवरण अंकित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत कार्यालय में मौका प्रतिवेदन कर महिला पंचगण के हस्ताक्षर करवाये जाना प्रतिवेदन से प्रमाणित है। मौके पर जाकर प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया। मौके पर कोई माप किया जाना भी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि पंचगण मौके पर उपस्थित ही नहीं हुई। ढाणी में कोई गै0मु0आबादी भूमि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र की नहीं है। ग्राम पंचायत में मानसिंह अप्रार्थी के आवेदन जो प्रिन्टेड फॉर्म है, कार्यालय पटवार मण्डल द्वारा भूमि के किस्म प्रमाण पत्र में भूमि किस खसरा नम्बर किस ग्राम कितना क्षेत्रफल एवं भूमि की किस्म क्या है और प्रकोष्ठ खाली है। पटवारी हल्का के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं है। भूमि विक्रय से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा प्रचलित आपत्ति संबंधी सूचना पत्र कब प्रचलित हुआ उक्त सूचना पत्र को कहां किसके सामने चस्पा किया गया। कोई विवरण अंकित नहीं है। संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से जो तथ्य सामने प्रकट है उससे यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 3 ने जिस अप्रार्थी संख्या 2 के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत में सभी अभिलेख तैयार किये हैं जिनके आधार पर प्रचलित प्रश्नगत पट्टा देहानी संकल्प आपसी मिलीभगत से तैयार किया गया है। अतः भूमि विक्रय संबंधी नियमों की पालना नहीं होने के कारण भी निरस्तनीय है। अप्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर पैत्रिक भूमि मानी गई है। भूमि खसरा नम्बर 44 में स्व० रामसिंह की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम तस्दीक होकर प्रार्थीगण का नाम बहैसियत खातेदार भूमि में अंकित है। प्रार्थीगण या अन्य किसी सहखातेदार को बिना सूचना सुनवाई या सहमति अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मिलकर प्रश्नगत पट्टा देहानी संकल्प संख्या 6 व उसकी पालना में पट्टा दिनांक 22-1-2021 को अनाधिकृत या अवैध रूप से पारित किया है जो तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत को प्रश्नगत संकल्प पारित करने व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के भूभाग का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रचलित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः प्रश्नगत संकल्प दिनांक 22-1-2021 श्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाकर योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत पट्टा

।जला कलक्टर, दौसा

देहानी संख्या 6 दिनांक 22-1-2021 ई० व उसके आधार पर प्रचलित पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता निगरानीकारान ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2022(1) राज0 पेज 243, डीएनजे 2024(1) राज0 पेज 275, डीएनजे 2015(2) राज0 पेज 395, डीएनजे 2024(1) राज0 पेज 287 की प्रतियां पेश की गई।

4. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं० 1 ने बहस में कथन किया कि निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त निगरानी मिन गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किये गये पट्टा ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति दौसा दिनांक 22-1-2021 बसंकल्प संख्या 6 को निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय में असत्य एवम बनावटी तथ्यो पर पेश की है। ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा जो गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया गया है वह पट्टा वैध रजिस्टर्ड पट्टा है जिसको किसी भी प्रकार की चुनौती देने का निगरानीकर्तागण को अधिकार नहीं है। निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त निगरानी सरासर असत्य एवम वैग आधारो पर केवल मात्र गैर निगरानीकार संख्या 1 को हेरान परेशान करने की गरज से पेश की गई है जो कि निरस्तनीय है। निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी निगरानी में ऐसे कोई ठोस व सुदृढ आधार अंकित नहीं किये है जिनसे यह तनिक भी प्रमाणित होता हो कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा जो दिनांक 22-1-2021 को पट्टा जारी किया है वह अवैध हो जिससे उसे निरस्त घोषित किया जावे। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टा वैध रजिस्टर्ड पट्टा होना स्पष्टतया प्रमाणित है जिसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है ऐसी सूरत में निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्तनीय है। निगरानीकर्तागण ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा जारी किये गये पट्टे के संबंध में निगरानी में यह तथ्य अंकित किया है कि ग्राम पंचायत सूरजपुरा ने निगरानीकर्तागण व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 21 ऐयर वाके ग्राम खेडली में से उक्त पट्टा जारी करना बताया है इसके संबंध में तथ्य उल्लेखनीय है कि भूमि खसरा नंबर 44 निगरानीकर्तागण जो स्वयं की होना बताते है वह गलत है। असल में भूमि खसरा नम्बर 44 निगरानीकर्तागण व गैर निगरानीकार संख्या 1 के बजमाने बुजुर्गान के समय से ही पैतृक भूमि रही है एवम गैर निगरानीकार संख्या 1 अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त भूमि खसरा नम्बर 44 में मकान बनाकर निवास करते आ रहे है ग्राम पंचायत सूरजपुरा ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के कब्जे के आधार पर ही उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिसमे कोई भी अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है। निगरानीकर्तागण ने उक्त खसरा नम्बर 44 की भूमि स्वयं के पूर्वजो की स्वयं के पिता रामसिंह के नाम होना अंकित किया है। पारिवारिक शजरे के अनुसार सोल्याराम के तीन पुत्र संतान थी जिनमें माधोसिंह, रामप्रताप व गंगाबिशन थे एवम उक्त माधोसिंह के एक पुत्र संतान रामसिंह व रामसिंह के दो पुत्र संतान निगरानीकर्तागण अमरसिंह व अजीतसिंह है एवम रामप्रताप के पांच पुत्र संतान जिनमे जयसिंह, रामावतार, झण्डु, कैलाश व विनोद हुए एवम गंगाबिशन के दो पुत्र संतान मानसिंह व सुरेन्द्रसिंह हुए। उक्त भूमि खसरा नम्बर 44 वाके ग्राम खेडली में बजमाने बुजुर्गान सभी मकान बनाकर काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि पूर्व में माधो, सोल्याराम का बडा पुत्र होने के कारण खातेदारी में केवल माधो के नाम थी लेकिन कब्जा सोल्याराम के तीनों पुत्र माधो, रामप्रताप, गंगाबिशन का अपने अपने हिस्से पर था जिन्होंने अपने अपने हिस्से पर मकान बना रखे थे। निगरानीकर्तागण के पिता रामसिंह व दादा माधोसिंह ने आज तक गैर निगरानीकार संख्या 1 व अन्य सहखातेदारान के विरुद्ध बेदखली का कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया बल्कि वर्तमान में निगरानीकर्तागण की नीयत में बईमानी आ जाने के कारण गैर निगरानीकार संख्या 1 से नाजायज राशि ऐंठने के लिए उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई



जिला कलेक्टर, दासा

है जो काबिले खारिज है। निगरानीकर्तागण ने अपनी निगरानी में यह तथ्य अंकित किया है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 नरेश व उसके भाई दीपकसिंह ने व गंगाबिशन के वारिसान ने निगरानीकर्तागण के पिता स्व० रामसिंह पुत्र माधोसिंह निवासी राजाहेडा तन खेडली की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 44 का एक कूटरचित इकरारनामा दिनांक 19.5.2017 को तैयार कर उक्त इकरारनामा के आधार पर पट्टा लेना अंकित किया है जो सरासर गलत है। गैर निगरानीकार संख्या एक ने इस प्रकार का कोई भी इकरारनामा न तो तैयार किया और न ही इस प्रकार के इकरारनामे के आधार पर कोई पट्टा प्राप्त किया है। गैर निगरानीकार संख्या एक ने ग्राम पंचायत सूरजपुरा से दिनांक 22-1-2021 को जो पट्टा प्राप्त किया है वह अपना शपथ पत्र देकर एवम ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी उक्त कमेटी की रिपोर्ट एवम गैर निगरानीकार संख्या एक के पिछले 40-45 साल से अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज होने के कारण कब्जे के आधार पर ही उक्त पट्टा जारी किया गया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। ग्राम पंचायत सूरजपुरा ने अपनी उक्त जांच कमेटी में तीन वार्ड पंच सदस्यो का गठन किया गया था जिसमें सदस्य राजदेवी, सीमा देवी मीना उर्फ सुमन व सीमा देवी गुर्जर ने मौका देखने के बाद ही दिनांक 20-11-2020 को ही मौका रिपोर्ट तैयार की जो मौका रिपोर्ट दिनांक 5-12-2020 को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश हुई। उक्त मौका रिपोर्ट में कमेटी ने अंकन किया कि पट्टा आवेदक गैर निगरानीकार संख्या 1 का मकान पुश्तैनी पूर्व समय से बने हुए है एवम इसके उपरान्त ग्राम पंचायत ने आपत्ति नोटिस जारी किया जब ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई तो ग्राम पंचायत सूरजपुरा ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में नियमानुसार पट्टा दिनांक 22-1-2021 को जारी किया गया। उक्त पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 माह का समय लगा है इसलिए निगरानीकर्तागण का यह कथन कि गैर निगरानीकार संख्या एक ने ग्राम पंचायत के लोगो से सुनियोजित षडयंत्र कर उक्त पट्टा प्राप्त किया है जो अवैधानिक है यह तथ्य कतई गलत है बल्कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है इसलिए निगरानीकर्तागण की निगरानी प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है। उक्त पट्टे के संबंध में निगरानीकर्ता संख्या अमरसिंह द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2021 दिनांक 30-6-2021 को जरिए इस्तगासा पुलिस थाना सदर दौसा में दर्ज करवाई थी जिसमें पुलिस थाना सदर दौसा ने बाद अनुसंधान उक्त प्रकरण को अदम वकू सिविल नेचर का मानते हुए एफ. आर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान जो नक्शा मौका बनाया है उसमें अनुसंधान अधिकारी ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के पुख्ता मकान पूर्व से बने होना बताया है जिसमें निगरानीकर्तागण का मकान भी बताया गया है एवम उक्त नक्शा मौका की पुश्त पर हालात मौका में अनुसंधान अधिकारी ने नोट अंकित कर गैर निगरानीकर्ता संख्या एक के मकान 40-45 साल पूर्व के बने होना बताया है एवम नक्शा मौका में पुख्ता मकान गैर निगरानीकार संख्या एक व उसके भाई दीपक के मकान के पास पुख्ता मकान मानसिंह व सुरेन्द्रसिंह व उनके पास पुख्ता मकान निगरानीकार संख्या एक अमरसिंह व उसके पास शामलाती जाग (जगह) अमरसिंह, नरेश, दीपक, मानसिंह होना बताया है जिसमें गवाह भी निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 अमरसिंह व अजीतसिंह है। जबकि निगरानीकर्तागण ने अपनी निगरानी में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 व अन्य सहखातेदारान के पुख्ता मकान भी उक्त भूमि पर बने हुए है एवम हमारी शामलाती जाग (जगह) भी उक्त भूमि पर बनी हुई है निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 के दादा माधोसिंह अपने दोनो छोटे भाई रामप्रताप, गंगाबिशन के साथ अपने पूर्वजो के मूल गांव राजाहेडा (गुढाचन्द्रजी - नादौती) को छोडकर वर्तमान गांव गांव राजाहेडा (खेडली-दौसा) में आकर बस गये और उक्त भूमि माधोसिंह को बड़ा होने के कारण माधोसिंह के नाम लग गई

जिला कलेक्टर, दौसा

लेकिन उक्त भूमि पर तीनो भाई अपने अपने हिस्से पर मकान बनाकर रिहायश करते चले आ रहे है। उक्त भूमि पर निगरानीकर्तागण व गैर निगरानीकार संख्या 01 व गंगाबिशन के वारिसान लगभग 40-45 साल वर्षो से काबिज होकर रिहायश करते चले आ रहे है लेकिन निगरानीकर्तागण उक्त भूमि को अपनी भूमि बताकर कब्जा करना चाहते है जबकि निगरानीकार संख्या 1 व अन्य सहखातेदारान के जो 40-45 साल से उनके मकान के पास ही रिहायशी मकानात बने हुए है उनको बेदखल करने की कार्यवाही ना तो माधोसिंह ने की और ना ही रामसिंह ने की बल्कि निगरानीकर्तागण ने केवल मात्र रामसिंह के नाम नामान्तरण के आधार पर अब मन में बेईमानी आ जाने की वजह से प्राथी गैर निगरानीकार संख्या एक को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त निगरानी पेश की गई है जबकि गैर निगरानीकार संख्या 1 व गंगाबिशन के वारिसान उक्त भूमि में अपने पैतृक हिस्से के अनुसार बंजमाने बुजुर्गान मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है ऐसी सूरत में निगरानीकर्तागण की निगरानी आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकर्तागण ने उक्त निगरानी सीधे ही श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की है जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 व 61 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के आदेश के विरुद्ध सर्वप्रथम अपील पंचायत समिति के समक्ष की जानी चाहिए थी लेकिन निगरानीकर्तागण ने पंचायत समिति के समक्ष कोई अपील नही की है और सीधे ही श्रीमान के न्यायालय में उक्त रजिस्टर्ड पट्टे को चुनौती दी गई है। इस संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय ने अपने एक न्यायिक दृष्टान्त 2018-19 (सप्लीमेन्ट्री) आर. आर. टी. 125 पन्नालाल एवम अन्य बनाम श्रीमती सुशीला देवी व अन्य में यह प्रावधान किया गया है कि गाम पंचायत द्वारा भूमि के आवंटन के संबंध में आवंटन आदेश को सीधे ही जिला कलेक्टर एवम अन्य किसी निगरानी अधिकारी के समक्ष चुनौती नही दी जा सकती। बल्कि पंचायत समिति के समक्ष अपील का प्रावधान है ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण की निगरानी पंचायत समिति के समक्ष अपील नही किये जाने के अभाव में श्रीमान के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31-1-2025 को एक बउनवानी निगरानी नर्बदेश्वर मंदिर महादेव बनाम सुरेश आदि में निगरानी संख्या 7/2022 में पारित किये गये निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि श्रीमान के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया पट्टा एक रजिस्टर्ड पट्टा है जिसे दिनांक 29-1-2021 को उपपंजीयक दौसा द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 415 पृष्ठ सं० 190 क्रम संख्या 202103071100204 पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1216 के पृष्ठ संख्या 8 से 18 पर चस्पा किया गया है। ऐसी स्थिति में गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया उक्त पट्टा वैध रजिस्टर्ड पट्टा है। रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त किये जाने का माननीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। रजिस्टर्ड पट्टा केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय ने अपने एक न्यायिक दृष्टान्त 2015 पार्ट 2 आर. आर. टी. 967, मनोहरलाल बनाम जिला कलेक्टर बाडमेर व अन्य में यह प्रावधान किया है कि रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का अधिकार किसी भी निगरानी के तहत जिला कलेक्टर को नही है रजिस्टर्ड पट्टा केवल मात्र सिविल कोर्ट द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। तथा इसी संबंध में एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2021 पार्ट-1 डी. एन. जे. राज० 186 गोपाल पटेल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार सिरोही व अन्य में यह प्रावधान किया है कि रजिस्टर्ड पट्टे को जिला कलेक्टर या अन्य कोई निगरानी ऑथरिटी के द्वारा निरस्त नही किया जा सकता है। रजिस्टर्ड पट्टे को केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। उक्त न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी से यह स्पष्ट होता है कि गैर निगरानीकार संख्या एक के हक में ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा जारी किया गया

जिला कलेक्टर, दौसा

पट्टा दिनांक 22-1-2021 जिसे उपपंजीयक दौसा द्वारा दिनांक 29-1-2021 को पट्टा रजिस्टर्ड किया गया है रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने के संबंध में माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण की निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है। इस हेतु गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रति जो उपपंजीयक दौसा से दिनांक 21-8-2025 को प्राप्त की गई है भी संलग्न है। गैर निगरानीकार संख्या एक की और से उक्त निगरानी के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त श्रीमान के अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिन्हें शामिल पत्रावली किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है :- 1 2015 पार्ट-2 आर. आर.टी. 967 मनोहरलाल बनाम जिला कलेक्टर बाडमेर व अन्य, 2 2021 पार्ट-1 डी.एन.जे. राज0 186 गोपाल पटेल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार सिरोही व अन्य, 3. 2018-19 (सप्लीमेंट्री) आर. आर.टी. 125 पन्नालाल एवम अन्य बनाम श्रीमती, सुशीला देवी व अन्य। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी याचिका मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावे।

5. गैर निगरानीकार सं0 2 व 3 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।
7. प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा कृषि भूमि में पट्टा दिये जाने का है। प्रार्थी को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये गाम पंचायत ने निर्णय पारित किया। कूटरचित इकरारनामे के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। हमने निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 ग्राम खेडली का अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त भूमि खसरा नंबर 44 रकबा 0.21 है। किस्म गै0मु0 आबादी अंकित है। ग्राम पंचायत सूरजपुरा की मूल पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त करने हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 20.11.2020 को तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित की जाकर प्रार्थी की आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। तीन वार्ड पंचों द्वारा भूमि का मौका देखा जाकर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया। आपत्ति नोटिस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। जिस पर ग्राम पंचायत सूरजपुरा के द्वारा गैर निगरानीकार के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे का उप पंजीयक के द्वारा पंजीयन किया गया है।
8. जहाँ तक प्रश्न पट्टा कृषि भूमि पर जारी करने के संबंध में है तो प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 44 ग्राम खेडली ग्राम पंचायत सूरजपुरा में पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया। उक्त भूमि की किस्म जमाबंदी में गै0मु0 आबादी खातेदारों के नाम दर्ज है। अतः उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि की किस्म यह दर्शाती है कि उक्त भूमि का इस्तेमाल खेती / कृषि के रूप में नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त खातेदारान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है जिसमें उन्हें भूमि कृषि हेतु राजस्थान सरकार द्वारा खातेदारी अधिकार के रूप में दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर कृषि भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज कर उसे जिस प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया जा रहा है जैसेकि इस प्रकरण में आबादी हेतु, उसे दर्ज किये जाने के प्रावधान है। इस प्रकरण में हालांकि उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं हुई है एवं उक्त भूमि गै0 मु0 आबादी खातेदारों के नाम दर्ज है ना कि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है। ऐसे में ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि न होने के कारण ग्राम पंचायत को उक्त भूमि पर पट्टे दिये

D
जिला कलेक्टर, दौसा

जाने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को पट्टे देने से पूर्व उक्त भूमि को राजस्व विभाग के माध्यम से सबसे पहले संबंधित खातेदारों की खातेदारी अधिकार समाप्त करने का आवेदन एवं इसके उपरांत उक्त भूमि को ग्राम पंचायत के नाम स्थानान्तरण करने का आवेदन कर उक्त भूमि को ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होने के बाद ही पट्टे जारी किये जाने चाहिए। अतः ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध पट्टे जारी किये गये हैं।

9. जहाँ तक प्रश्न उक्त पट्टों के पंजीयन के संबंध में एवं रजिस्टर्ड पट्टों को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता तो इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश Nagar Mal vs. Additional District Collector Sikar S.B Civil Writ Petition Nos. 11006-11008 of 2012 में निर्णित किया है कि

“As far as the argument of the counsel for the petitioners with regard to the issue of the pattas being registered and therefore being beyond the scope of correction by resort to revising power is concerned, I am of the view that the revising power under Sec. 97 of the Act of 1994 cannot be made redundant by the mere registration of pattas unlawfully issued in the first instance to the petitioners as they appear to have been in the present case. Registration of the pattas is only a consequential event and when the pattas are found to have been unlawfully issued contrary to the obtaining rules and even by resort to fraud, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbour. It is trite that fraud vitiates and unravels everything built on it. The cancellation of pattas by the Additional Collector will also thus entail its inexorable consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential.”

इस प्रकरण में भी पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है एवं वह शून्य है। अतः उसे रजिस्ट्रेशन उपरांत भी खारिज करना रिवीजन की शक्तियों के अंतर्गत आता है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा पारित संकल्प सं० 06 दिनांक 22.1.2021 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा सं० 024 दिनांक 22.01.2021 को शून्य घोषित किया जाता है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10 नवंबर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा